भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 104

जिसका उत्तर दिनांक 22 नवम्बर, 2011 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए निर्धारित कर्मचारियों की संख्या

104 श्री अम्बेथ राजन

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय में समूह-वार अर्थात समूह 'क' से समूह 'घ' में कुल संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट नौकरियों की संख्या कितनी है;

(ग) कर्मचारियों की संख्या सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में के अंतर्गत दो विभाग अर्थात भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग हैं। मंत्रालय में समूह 'क' से समूह 'घ' तक कुल स्वीकृत कर्मचारियों की वर्गवार संख्या निम्नानुसार है-

क्र सं	समूह	भारी उद्योग विभाग	लोक उद्यम विभाग
1	क	49	30
2	ख	87	32
3	ग	57	31
4	घ (छठे वेतन आयोग के अनुसार समूह (ग) के रूप में पुन:पदनामित)	56	33
	कुल	249	126

(ख) और (ग) ये पद विभिन्न सेवा संवर्गों अर्थात कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, राजभाषा विभाग, भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएएस), भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) से संबंधित हैं। पदों पर नियुक्ति करते समय भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करने के लिए संबंधित संवर्ग नियंत्रण विभाग उत्तरदायी हैं।

*****